प्राचीन भारत में पुत्र के प्रकार

Dr. Manoj Kumar
Assistant Professor (Guest)
Dept. of A.I.H. & Archaeology,
Patna University, Patna-800005

P.G./ M.A. IInd Semester ,
Dept. of A.I.H.& Archaeology. Patna University
Paper- C.C.-5, SOCIAL –ECONOMIC HISTORY OF ANCIENT INDIA

हिंदू परिवार में पुत्र का अत्यधिक महत्व रहा है क्योंकि इससे कुल और वंश का वर्धन और उत्कर्ष होता है। प्राचीन भारत में पुत्र प्राप्ति की कामना काफी तीव्र रूप में दिखाई देती है। पाणीग्रहण के समय वधु को उत्तम पुत्रों वाली एवं वीरों को जन्म देने वाली होने का आशीर्वाद दिया जाता था। पति को 10 पुत्र उत्पन्न करने का निर्देश दिया जाता थे। अथर्ववेद में नारी से कहा गया है कि पहले पुरुष संतान पैदा करो। ऋग्वेद में सोम तथा त्वष्टा से पुत्र मांगा गया है। पुत्र प्राप्ति की प्रबल कामना के कई कारण थे।

पुत्र प्राप्ति की कामना के प्रमुख कारण

पितृ ऋण से मुक्ति :- जन्म लेते ही व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण से लद जाता था। एक पुत्र उत्पन्न करके वह पितृ ऋण से मुक्त होता था।

आत्म संरक्षण :- पुत्रों द्वारा वंश का विस्तार होता था तथा व्यक्ति अपने को अमर करता था।

लौकिक सुख :- प्रथम तो बालकों से दंपत्ति आनंदित होता था । उसके घर एक सहज बच्चों की उपस्थिति से भरा रहता था । दूसरे, युवा पुत्र आर्थिक उत्पादन में पिता की सहायता करते थे । वृद्धावस्था में पुत्र ही माता-पिता का भरण-पोषण करते थे ।

नरक से पिता की रक्षा :- गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 'पूत' नामक नरक से पुत्र ही पिता की रक्षा करता है । इस कारण उसे पुत्र कहा जाता है । रामायण तथा महाभारत में भी यही भाव देखने को मिलता है ।

पितरों का तर्पण :- पुत्र ही पितरों का पिंडदान करता था तथा उन्हें जल से तर्पण करता था ।

धार्मिक कर्तव्य :- शास्त्रकारों ने पुत्र प्राप्ति को धार्मिक कर्तव्य कहा है । महाभारत में स्पष्ट कहा गया है कि 'जो पुत्र उत्पन्न नहीं करता वह पापी तथा अधार्मिक होता है ।

पुत्र के प्रकार

शास्त्रकारों ने पुत्र के 12 प्रकार बताए हैं :-

1. **औरस पुत्र** :- मनु के अनुसार जब पुरुष समान जाति वाली स्त्री से, जो विधिपूर्वक विवाहिता हो, पुत्र उत्पन्न करता है तो उसे औरस पुत्र कहा जाता है । विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क ने क्षत्रिय और वैश्य स्त्री से उत्पन्न पुरुष को औरस पुत्र कहा है । स्मृतिकारों ने अन्य पुत्रों की अपेक्षा पिता की संपत्ति का औरस पुत्र को ही वास्तविक उत्तराधिकारी माना है ।

2. क्षेत्रज पुत्र :- मनु ने मृत रोगी अथवा नपुंसक पुरुष की स्त्री से नियोग-विधि द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज पुत्र कहा हैं।
3. दत्तक पुत्र :- समान जाति वाले दंपत्ति को जब कोई माता-पिता आपत्ति काल में प्रेम पूर्वक अपना पुत्र प्रदान करते हैं तो उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है।
4. कृत्रिम पुत्र :- जब किसी सजातीय के पुत्र को कोई माता पिता अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपना पुत्र स्वीकार करें तो उसे कृत्रिम पुत्र कहा गया है।
5. गूढ़ज पुत्र :- ऐसा पुत्र जिसके विषय में यह संदेह हो कि वह किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है उसे गूढ़ज पुत्र कहते हैं। कौटिल्य, याज्ञवल्क्य आदि ने ऐसे गूढ़ज पुत्र का उल्लेख किया है।
6. अपविद्ध पुत्र :- ऐसा पुत्र जो अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया गया हो, लेकिन किसी दूसरे माता-पिता द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो उसे अपविद्ध पुत्र कहते हैं।
7. कानीन पुत्र :- ऐसी कन्या जो पिता के घर में निवास कर रही हो उससे गुप्त रूप से जो पुत्र उत्पन्न हो उसे कानीन पुत्र कहते हैं। उस कन्या से विवाह करने वाले पति का ही वह पुत्र माना जाता था। शास्त्रकारों के अनुसार ऐसा पुत्र नाना की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकता था तथा उसे पिंडदान भी कर सकता था।
8. सहोढ पुत्र :- मनु के अनुसार ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में जब गर्भिणी कन्या का विवाह किया जाता है उस गर्भ से उत्पन्न पुत्र विवाहकर्ता पति का सहोढ पुत्र कहलाता है।

9. क्रीतक पुत्र :- मनु का मत है कि सजातीय अथवा आसजाती माता पिता से पुत्र धन देकर खरीद लिया जाता है तो उसे क्रीतक पुत्र कहा जाता है।

10.पौनर्भव पुत्र :- पति द्वारा त्यागी गई अथवा विधवा स्त्री अपनी इच्छा से दूसरे को पति बनाकर जिस पुत्र को जन्म देती है उसे पौनर्भव पुत्र कहते हैं।

11. स्वयंदत्ता पुत्र :- मनु के अनुसार जब कोई पुत्र माता पिता के हीन अथवा उनसे त्यागे गए होने के कारण अपने को किसी पुरुष के लिए पुत्र रूप में समर्पित कर देता है तो इस प्रकार का पुत्र उस पुरुष का स्वयंदत्त पुत्र कहा जाता है।

12. पारशव पुत्र :- ब्राम्हण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र को पारशव पुत्र कहा गया है। सभी पुत्रों में इसे निम्नतम माना गया है।